Launching of Cartosat-I & II

1387. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to launch CARTOSAT-I and CARTOSAT-II satellites; and

(b) if so, by when and the steps taken by the Indian Space Research Organisation in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) and (b) Yes, Sir. The development of CARTOSAT-I is already ongoing. The satellite will provide 2.5m Panchromatic Stereo data which would be highly useful for large scale thematic mapping and cartographic mapping. The development of this satellite is progressing satisfactorily and the satellite is scheduled to be launched in 2000.

As a continuation of CARTOSAT-I, the design studies for a next generation improved satellite (CARTOSAT-II) have been taken up. The focus of the use of data from this satellite will be mainly for cadastral applications and enchanced large scale mapping applications.

Report of World Commission on DAMS

1388. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI AKHILESH DAS:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the World Commission on Dams visited Madhya Pradesh and Gujarat with particular reference to Narmada Dam Project;

(b) if so, whether the World Commission has sent its report and recommendation to Government;

(c) if so, the details thereof; and

(d) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

हरियाणा और पंजाब के बीच जल-विवाद के मामले

1389. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा के बीच जल-विवाद संबंधी अनेक मामले लंबित हैं, यदि हां, तो इन मामलों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों को निपटाने के लिए अब तक कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने मामलों में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है तथा कौन-कौन से मामले अभी भी विवाद-ग्रस्त हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) रावी और व्यास जल विवाद से संबंधित एक मामला रावी और व्यास अधिकरण के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) पंजाब के पुनर्गठन के बाद पंजाब हरियाणा के बीच रावी और व्यास के अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में निर्धारित दो वर्षों की अवधि के अंदर कोई समझौता नहीं हो सका इसलिए भारत सरकार ने अपनी 24 मार्च, 1976 की एक अधिसूचना के माध्यम से रावी-व्यास के अधिशेष जल में पंजाब और हरियाणा का हिस्सा आबंटित करने के साथ-साथ दिल्ली, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर के हिस्से भी आबंटित किए। तथापि, पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर इस अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी। इसके बाद इस मामले के समाधान के लिए प्रयास किए गए थे और इस प्रकार भारत के माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रियों द्वारा दिनांक 31.12.1981 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गया। पंजाब और हरियाणा के बीच जल के बंटवारे संबंधी मामले को पुनः उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.7.1985 को पंजाब समझौते (राजीव-लोंगोवाल समझौता) पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अन्य बातों के

साथ-साथ पंजाब और हरियाणा के शेषजल में उनके हिस्से से संबंधित दावों पर निर्णय देने के लिए भारत सरकार द्वारा रावी और व्यास जल अधिकरण (आर०बी०डब्ल्यू०टी०) का गठन किया गया था। रावी और व्यास अधिकरण ने दिनांक 30.1.87 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस संबंध में पाये गये तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद, रावी-व्यास अधिकरण की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार तथा साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से प्राप्त संदर्भों को स्पष्टीकरण/दिशा निर्देश के लिए दिनांक 19.8.1987 को अधिकरण को भेजा गया था। यह मामला अभी भी रावी-व्यास जल अधिकरण के विचाराधीन है।

जल प्रबन्धन के लिए सरदार सरोवर निगम का मास्टर प्लान

1390. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर निगम ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वैज्ञानिक जल-प्रबंधन के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च को अद्यतन बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संसाधन जुटाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा कौन सा प्रस्ताव विचाराधीन है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं। गुजरात सरकार के पूर्ण स्वामित्व में सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहभागी राज्यों को लाभ पहुंचाने वाले नर्मदा जल का उपयोग करने के लिए गुजरात राज्य में सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में वाटर लागिंग की समस्या

1391. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्रों में वाटर लागिंग (सैम) की समस्या के संबंध में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने वाटर-लॉगिंग की समस्या के निदान हेतु विशेषज्ञों का कोई दल तैयार कर राजस्थान में भेजा है; यदि हां, तो कब; और

(ग) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में कुल कितना क्षेत्र वाटर लॉगिंग से प्रभावित हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमान में जल जमाव वाले क्षेत्रों का पता लगाया है।

(ख) जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के एक दल सहित जुलाई, 1997 में राजस्थान के झुंझुनू, चुरू, सरदार शहर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्रों में दौरा किया। इस टीम ने इन क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या का अध्ययन किया।

(ग) राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर कमान में जल जमाव वाले क्षेत्रों का आकलन किया है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

	चरण-I	चरण-II	कुल
(i) जल जमाव वाला क्षेत्र (भू स्तर के नीचे 1.0 मीटर तक जल स्तर)	17220	1243	18463
(ii) क्रिटिकल क्षेत्र (भू-स्तर के नीचे 1.0-1.5 मीटर के मध्य जल स्तर)	24140	3610	27750
(iii) पोटेनशियली सेंसिटिव एरिया (भू-स्तर के नीचे 1.5-6.0 मीटर तक जल स्तर)	297620	17303	315123